

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.18(36)नपिपि/एन.ए.एच.पी/2014पार्ट

जयपुर, दिनांक :- ०९।२।१८

आदेश

विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03.04.2017 सामान्य प्रावधान (General Conditions) के बिन्दु संख्या 11 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :—

मुख्यमंत्री जन आवास योजना—2015 के अन्तर्गत आवेदित प्रकरणों में 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र समर्पित कराया जावे तथा भवन विनियम 8.2.1(य)(vi) के प्रावधान को मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रकरणों में शिथिलता देते हुए कुल गणना योग्य निर्मित क्षेत्र का न्यूनतम 1 प्रतिशत अथवा 750 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र जो भी कम हो पर सामुदायिक भवन का निर्माण करना होगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,

०९।२।१८  
(राजेन्द्र सिंह शेखावत)  
संयुक्त शासन सचिव—प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, रथानीय निकाय विभाग, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव—प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
7. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
8. सचिव, नगर विकास न्यास, समरत।
9. विशिष्ट उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
10. रक्षित पत्रावली।

०२ ०९।२।१८  
संयुक्त शासन सचिव—प्रथम

Mamta  
प्र-APWad  
Date  
10/17.